

## कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@nic.in    Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

क्रमांक/ ४८१९ /नि.पं./शिक्षा शाखा/2018-19  
प्रति,

कांकेर, दिनांक 21/06/2018

**01. मुख्य कार्यपालन अधिकारी**  
जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा

**02. जनपद पंचायत चारामा,**  
जिला उ.ब.कांकेर (छ.ग.)

**विषय :-** शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु अनापत्ति/ सहमति के संबंध में।  
**संदर्भ :-** छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र कं.  
/पंचा./पंग्राविवि/22/2016/150 नया रायपुर, दिनांक 02.03.2016 एवं विभाग का अनुदेश  
क्रमांक/पंचा-1216/पंग्राविवि/22/2015 /404 दिनांक 28.07.2015।

—=000=—

उपरोक्त विश्यांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों का स्वेच्छा से स्थानांतरण हेतु आवेदन इस जिला पंचायत को पात्र हुआ है। परीक्षण पश्चात् आवेदन को जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन की प्रत्यशा में सहमति प्राप्त करने हेतु आपकी ओर प्रेशित की जा रही है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	नियुक्ति/नियुक्ति करण तिथि	शिक्षक पंचायत संवर्ग का नाम	विषय	कार्यरत शाला का नाम	जहां आपसी स्थानांतरण में जाना है।	जाने वाले जिले का नाम	स्थानांतरण का कारण
1	24.06.2010 24.06.2012	श्री किशोर कुमार टाकुर, सहा.शि.पंचा.	गणित	प्राथमिक शाला जुनागावडेगांव/ विकासखण्ड कोयलीबेड़ा/ जिला उ.ब.कांकेर	प्राथमिक शाला पत्थरी पारा बडेगौरी/ विकासखण्ड चारामा/ जिला उ.ब.कांकेर	जिला कांकेर	

**शर्त :-**

- इस जिले से जाने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग को संबंधित निला पंचायत की सहमति/अनापत्ति आवश्यक है।
- संबंधित जनपद पंचायत द्वारा सहमति/अनापत्ति दिये जाने पर ही संबंधित शिक्षक पंचायत संवर्ग को जनपद पंचायत के विकल्प पर स्थानांतरित कर भारमुक्त किया जावेगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण प्रकरण के तहत दिया जा रहा है।
- शासन के निर्देशानुसार नियमितिकरण न होने, छ.ग.शासन के पति या पति के राज्य शासन के कर्मचारी, शिक्षक पंचायत के सदस्य, राज्य शासन के निगम, मण्डल एवं आयोग के कर्मचारी न होने तथा पूर्व में इस सुविधा को लाभ मिलने संबंधी पुष्टि होने पर दी गई सहमति किसी भी समय निरस्ती योग्य होगी एवं संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- संबंधित शिक्षक पंचायत संवर्ग को जनपद पंचायत के द्वारा स्वेच्छा से स्थानांतरण में संबंधित शिक्षक पंचायत संवर्ग द्वारा दी गई शाला में या जिले में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थि किया जावेगा, जिसमें किसी प्रका के अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

06. यह अधिकारी प्रमाण पत्र जारी दिनांक में दिनांक 30/07/2018 के स्थानान्तरण मालिं होगा।  
 07. शिक्षक पंचायत संघर्ष को उत्तरी पुरी शैक्षणिक में एक बार भी वार्षिकीयां का शाम प्राप्त होगा।  
 08. शिक्षक पंचायत संघर्ष को किसी भी प्रकार के तथा दूसरे पार प्राधिकारी की जाति पर गोपन विद्यालय में नहीं होगा।  
 09. सहायक शिक्षक पंचायत को अपने प्रत्येक अवधि पंचायत में अनुप्राप्ति प्राप्ति पर प्रस्तुत करने का भी आश्वास है।  
 आश्वास जारी किया जावेगा। अनुप्राप्ति प्राप्ति पर के अन्तर्में वे दो दृष्टि अनुप्राप्ति विचार में होंगे।
10. अनुसूचित श्रेष्ठ से ऐसे अनुप्राप्ति श्रेष्ठ में अपनी स्थानान्तरण की विविधि में अनुसूचित श्रेष्ठ की शाम में कार्यालय विभाग (पंचायत) संघर्ष भी आश्वास होगे जब उनके प्रत्येकार द्वारा संघर्षक विभाग पंचायत में कार्यालय महल का दिनांक जावेगा।

*५३५/६८*

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Q. जिला पंचायत

जिला उत्तर बरतार कांकेर

कांकेर, दिनांक 21/06/2018

पु.क./ए/१२०/जि.पं/ शिक्षा शाखा/2018-19

प्रतिलिपि :-

01. मानवीय अध्ययन, जिला पंचायत उत्तर बरतार कांकेर को यूननार्थ।  
 02. अपर गुरुद्वारा सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर  
 रातर यूननार्थ।  
 03. संचालक, पंचायत रांचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर रातर यूननार्थ।  
 04. कलौकटर जिला उ.ब.कांकेर की रातर यूननार्थ।  
 05. जिला शिक्षा अधिकारी जिला उ.ब.कांकेर की यूननार्थ अग्रिम।  
 06. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला उत्तर बरतार कांकेर को यूननार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।  
 07. जिला सूचना एवं विकास अधिकारी, जिला कांकेर को जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।  
 08. जिला जनराज्यक अधिकारी, जिला उत्तर बरतार कांकेर को यूननार्थ।  
 09. डी.पी.एम., जिला पंचायत कांकेर को जिला पंचायत की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु यूननार्थ।  
 10. संबंधित श्री किशोर कुमार ठाकुर, राहा.शि.पंचा., प्राथमिक शाला जुनागावडेगांव, विकासाधारण  
 कोगलीबेड़ा, जिला उत्तर बरतार को यूननार्थ।

*५३५/१*

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Q. जिला पंचायत

जिला उत्तर बरतार कांकेर